<u>न्यायालय विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट, (एन.आई. एक्ट प्रकरण), नाथद्वारा</u>

पीठासीन अधिकारी – पियूष कुमार मेडतिया, RJS

नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या 978/2024

(सी.आई.एस. नंबर 515/2021)

सीएनआर नंबर– RJRS070000642021

लक्ष्मीनारायण पिता कन्हैयालाल, निवासी निचली ओडन, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमंद।

––परिवादी

बनाम

शंभुलाल पिता मदनलाल, निवासी मालियों के चौक के पास, फौज मौहल्ला, नाथद्वारा, जिला राजसमंद।

––अभियुक्त

<u>अपराध अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881</u>

<u>उपस्थिति–</u>

1. परिवादी की ओर से – अधिवक्ता श्री श्यामसुंदर माली
2. अभियुक्त की ओर से – अधिवक्ता श्री महेश वर्मा

<u>निर्णय</u> **<u>दिनांक : 27.03.2026</u>**

1. परिवादी द्वारा एक परिवाद न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नाथद्वारा के समक्ष दिनांक 24.11.2020 को पेश किया गया था, जो परिवाद प्रकरण संख्या 339/2021 में दर्ज किया गया। उसके पश्चात् श्रीमान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजसमन्द के आदेश क्रमांक 10 दिनांक 10.02.2022 की पालना में न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, नाथद्वारा में अंतरित किया। उसके पश्चात् श्रीमान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजसमन्द के आदेश क्रमांक 108 दिनांक 16.12.2023 की पालना में इस न्यायालय विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट प्रकरण) नाथद्वारा में अंतरित किया गया, जो प्रकरण संख्या 978/2024 के रूप में दर्ज किया गया, जिसका निस्तारण एतद्द्वारा किया जा रहा है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अभियुक्त ने परिवादी से मांगते पेटे 1,00,000/– रुपये अक्षरे एक लाख रुपये नकद उधार लिये, जिसकी एवज में अभियुक्त ने एक चैक संख्या 765043, राशि 1,00,000/– अक्षरे एक लाख रुपये, दिनांक 21.09.2020, बैंक भारतीय स्टेट बैंक, शाखा नाथद्वारा का खाता संख्या 34686218845 का दिया था। परिवादी ने अभियुक्त द्वारा दिये गये चैक को अपनी बैंक एक्सीस बैंक, शाखा नाथद्वारा के खाता संख्या 916020041633368 में पेश किया, वहां से उक्त चैक को

"Account Blocked situation covered in **21-25**" के नोट के साथ बिना भुगतान के साथ दिनांक 05.10.2020 को वापस लौटा दिया गया। इस प्रकार अभियुक्त द्वारा परिवादी को दिया गया चैक अनादरित हो गया। अभियुक्त द्वारा दिये गये चैक के डिस्ऑनर होने पर चैक की राशि के भुगतान की मांग बाबत परिवादी की ओर से उसके अधिवक्ता द्वारा एक लीगल नोटिस दिनांक 23.10.2025 को अभियुक्त के पते पर जरिये रजिस्टर्ड पोस्ट भिजवाया, जो अभियुक्त को दिनांक 28.10.2020 को प्राप्त हो गया। अभियुक्त ने नोटिस की समयावधि में तथा तत्पश्चात आज तक भी उक्त चैक की राशि की अदायगी परिवादी को नहीं की, इसलिये परिवाद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है, परिवादी अभियुक्त से चैक में वर्णित राशि प्राप्त करने का अधिकारी है। अन्त में प्रार्थना की गयी कि अभियुक्त को उसके कृत्य की सख्त से सख्त सजा दिये जाने का आदेश प्रदान करे तथा परिवादी के पक्ष में यह आदेश प्रदान किया जावे कि अभियुक्त परिवादी को उक्त चैक में वर्णित राशि की दुगुनी राशि मय हर्जे खर्चे अदा करें।

3. परिवाद के समर्थन में परिवादी लक्ष्मीनारायण ने स्वयं का साक्ष्य में परीक्षण बाबत शपथ पत्र पेश किया व दस्तावेजी साक्ष्य में असल चैक, बैंक का रिटर्न मेमो, पंजीकृत सूचना पत्र, पोस्टल रसीद व प्राप्ति स्वीकृति रसीद प्रस्तुत की गई।

4. अभियुक्त के विरूद्ध धारा 138 एन.आई. एक्ट का अपराध प्रथम दृष्टया बनना प्रकट होने पर उसके विरूद्ध उक्त अपराध का दिनांक 19.07.2021 को प्रसंज्ञान लिया जाकर अभियुक्त को तलब किया गया व अभियुक्त को दिनांक 16.08.2022 को अन्तर्गत धारा 138 एन.आई.एक्ट (आगे **आरोपित अपराध** से उल्लेखित) परक्राम्य लिखित अधिनियम (आगे **अधिनियम** से उल्लेखित) का आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया तो आरोप से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

5. अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध को साबित करने के लिये परिवादी द्वारा निम्न सारणी अनुसार मौखिक व दस्तावेज साक्ष्य पेश किए हैं:–

क्रम संख्या	नाम	व्याख्या
1.	लक्ष्मीनारायण	पी.ड.1

क्रम संख्या	प्रदर्श की व्याख्या	प्रदर्श	किस साक्ष्य द्वारा प्रमाणित
1.	असल चैक	प्रदर्श पी 1	पी.ड.1
2.	रिटर्न मेमो	प्रदर्श पी 2	पी.ड.1

3.	पंजीकृत सूचना पत्र की प्रति	प्रदर्श पी 3	पी.ड.1
4.	पोस्टल रसीद	प्रदर्श पी 4	पी.ड.1
5.	प्राप्ति स्वीकृति रसीद	प्रदर्श पी 5	पी.ड.1

6. अभियुक्त को धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत परीक्षित किया गया तो अभियुक्त ने स्वयं का निर्दोष होकर झूठा फंसाए जाने का कथन करते हुए कथन किया कि मैंने परिवादी से राशि नहीं ली है। राशि किसी और व्यक्ति से ली गई। मेरे चैक परिवादी के पास पड़े थे, जिसका परिवादी द्वारा दुरुपयोग किया गया।

7. अभियुक्त अधिवक्ता द्वारा साक्ष्य सफाई पेश करना चाहा, परंतु दिनांक 31.10.2025 को साक्ष्य सफाई पेश नहीं करने पर अवसर बंद किया गया।

8. बहस अंतिम सुनी गयी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

9. विद्वान अधिवक्ता परिवादी का दौराने बहस तर्क रहा है कि परिवादी अपना परिवाद साक्ष्य के जरिये साबित करने में सफल रहा है। परिवादी के हक में जागृत उपधारणा का खण्डन अभियुक्त करने में असफल रहा है। फलस्वरूप अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाकर एवं कठोर सजा दी जाकर भारी हर्जाने से दंडित किया जावे।

10. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा लिखित बहस कर मुख्य रूप से यह कथन किये कि अभियुक्त परिवादी के यहां पर ठेकेदारी का काम करता था। उक्त चैक परिवादी के यहां नौकरी के दौरान असम्यक असर से परिवादी ने दबाब डालकर प्राप्त कर लिए थे तथा परिवादी द्वारा अभियुक्त को कहा गया कि अभियुक्त के खाते में कुछ रकम डलवाई जानी है इसलिए परिवादी द्वारा करम डलवाने से पहले ही चैक प्राप्त कर लिए एवं रकम भी नहीं डलवाई एवं अभियुक्त द्वारा चैक पुनः मांगने पर भी नहीं लौटाए। इसके अतिरिक्त अभियुक्त ने आगे कथन किया कि अभियुक्त एवं परिवादी के मध्य प्रकरण संख्या 977 / 2024 की जिरह में करीब चार–पांच सालों से अभियुक्त के पिता से जान–पहचान होना कहा है एवं अभियुक्त के पिता से जान–पहचान के कारण पैसा उधार देना अभिकथित किया है, जबकि इसी परिवादी ने प्रकरण संख्या 976 / 2024 में प्रतिपरीक्षण में शंभुलाल को 10–12 सालों से जान–पहचान होने का कथन किया है। इससे स्पष्ट है कि अभियुक्त की उसके पिता के कारण परिवादी से पहचान नहीं होकर सीधे ही पहचान थी।

परिवादी द्वारा प्रकरण संख्या 976 / 2024 की जिरह में स्वीकार किया है कि अभियुक्त को सारे पैसे परिवादी के घर पर दिए थे। परिवादी ने उपर की ओर अंकित किया

है कि यह कहना गलत है कि जब पैसे दिए तब हम दोनों के अलावा और भी कोई हो। आगे जिरह में पुनः विरोधाभासी कथन किया है कि जब पैसे दिए, तब मेरे घर पर मैं और शम्भू थे। प्रकरण संख्या 978/2024 में जिरह में स्वीकार किया है कि मैंने जब पैसे दिए, तब शंभूलाल को दिए, जो मकान खरीदने की एवज में दिए थे। पैसे दिए, जब वहां पर एक शम्भूलाल था एवं एक बार उसके पिता थे।

प्रकरण संख्या 978/2024 में जिरह में परिवादी द्वारा कथित किया है कि एक लाख शंभूलाल को दिए एवं दो लाख उसके पिता को दिए। अज खुद कहा कि दोनों साथ में थे। पुनः आगे विरोधी कथन किया गया है कि एक लाख रुपये जब मदन जी आए थे, तब दिए थे। प्रकरण संख्या 976/2024 में जिरह में कथित किया है कि तीन लाख रुपये मैंने एक दो दिन के अंतराल में दिए थे, एकमुश्त नहीं दिए थे। इसी प्रकरण में जिरह में स्वीकार किया है कि तीन लाख रुपये शंभू ने लिए थे।

प्रकरण संख्या 976/2024 में प्रतिपरीक्षा में परिवादी ने स्वीकार किया है कि अभियुक्त ने चैक भरकर दिए थे और कहा था कि इस इस दिनांक को चैक बैंक में डाल देना, जबकि प्रकरण संख्या 978/2024 में स्वीकार किया है कि यह कहना सही है कि अभियुक्त ने पैसे नहीं दिए तो मैंने चैक भरकर बैंक में डाल दिया था। आगे स्वीकार किया है कि मैंने कई बार मौखिक निवेदन किया और पैसे नहीं देने पर चैक बैंक में डाल दिया। इससे स्पष्ट है कि उक्त चैक का दुरुपयोग बेईमानी से परिवादी ने किया है। उक्त सभी चैक के बांए कोने पर एकाउन्ट पेयी की दो समानान्तर रेखाएं अंकित नहीं है। उक्त चैक यदि अभियुक्त द्वारा दिए जाते तो निश्चय ही रेखाएं खींच कर दी जातीं। इससे स्पष्ट है कि उक्त चैक अभियुक्त ने अपने बैक में डालने के लिए परिवादी को कभी दिए ही नहीं थे। उक्त चौक परिवादी ने नाजायज तरीके से नौकरी के दौरान विश्वास का लाभ उठाकर ले लिए गए थे।

प्रकरण संख्या 976/2024 की जिरह में परिवादी ने स्वीकार किया है कि यह मुझे मालूम नही कि शंभूलाल ने किसी रजिस्ट्री के पेटे मुझे चैक दिए हो अजखुद कहा कि हाथ उदरत दिए थे फिर कहा कि यह कहना गलत है कि यह कहना गलत है कि शंभूलाल ने किसी रजिस्ट्री के पेटे मुझे चैक दिए हो अज खुद कहा कि हाथ उधरत दिए थे। प्रकरण संख्या 977/2024 में स्वीकार किया है कि शंभूलाल के मकान खरीदने की एवज में मैंने पैसे दिए थे, मकान किस के नाम का था पता नहीं। भंवरलाल का मकान खरीदने के लिए पैसे दिए थे। पुनः प्रकरण संख्या 978/2024 में भी यही पुनरावृत्ति की गई है कि अभियुक्त

के पडोस में उनकी जानकारी में कोई मकान था, जिसकी रजिस्ट्री की एवज में मैंने रुपये दिए। इस प्रकार परिवादी बार–बार विरोधाभासी कथन करने से पूरा प्रकरण ही संदिग्ध हो जाता है। अभियुक्त के विरूद्ध संस्थित तीनों ही प्रकरण पूव नियोजित तरीके से उससे अवैध रूप से वसूली किए जाने के लिए पेश किए हैं। परिवादी के प्रति अभियुक्त का कोई वैध ऋण या धन संबंधित विधिक दायित्व के निर्वहन में उक्त चैक कभी नहीं दिए गए थे। परिवादी किसी प्रकार की वैध मांग अभियुक्त से साबित करने में असफल रहा है। परिवादी किसी प्रकार से उक्त प्रकरण में सफल नही हो सकता है।

अतः प्रार्थना है कि अभियुक्त के विरूद्ध संस्थित तीनों प्रकरण बउनवान लक्ष्मीनारायण बनाम शंभूलाल प्रकरण संख्या 976/2024, 977/2024 एवं 978/2024 नियमित फौजदारी प्रकरणों में परिवादी का अभियुक्त के प्रति धन संबंधी दायित्व या वैध ऋण की मांग का अभाव होने एवं साबित करने में असफल रहने से दोषमुक्त करने के आदेश फरमावें।

11. उभय पक्षों के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली व संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया।

12. प्रस्तुत प्रकरण में न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि :–

(1) आया अभियुक्त ने परिवादी के प्रति अपने विधिक दायित्व की अदायगी पेटे प्रकरण में प्रश्नगत चैक संख्या 765043, राशि 1,00,000/– अक्षरे एक लाख रुपये, दिनांक 21.09.2020, बैंक भारतीय स्टेट बैंक, शाखा नाथद्वारा का खाता संख्या 34686218845 का दिया था। परिवादी ने अभियुक्त द्वारा दिये गये चैक को अपनी बैंक एक्सीस बैंक, शाखा नाथद्वारा के खाता संख्या 916020041633368 में पेश किया, वहां से उक्त चैक दिनांक 05.10.2020 को "Account Blocked situation Covered in 21-45" के नोट के साथ बिना भुगतान के वापस लौटा दिया गया। इस प्रकार अभियुक्त द्वारा परिवादी को दिया गया चैक अनादरित हो गया। अभियुक्त द्वारा दिये गये चैक के डिस्ऑनर होने पर चैक की राशि के भुगतान की मांग बाबत परिवादी की ओर से उसके अधिवक्ता द्वारा एक लीगल नोटिस दिनांक 23.10.2020 को अभियुक्त के पते पर जरिये रजिस्टर्ड पोस्ट भिजवाया, जो अभियुक्त को दिनांक 28.10.2020 को प्राप्त हो गया। अभियुक्त ने नोटिस की समयावधि में तथा तत्पश्चात आज तक भी उक्त चैक की राशि की अदायगी परिवादी को नहीं करने पर परिवादी द्वारा वाद हेतुक उत्पन्न होने से एक माह के अन्दर परिवाद न्यायालय में पेश किया गया। उक्त तथ्यों के आधार पर अभियुक्त द्वारा कोई अपराध कारित किया

गया है?

(2) यदि हां तो न्यायोचित/उपयुक्त दंड क्या हो?

इस विचारणीय बिन्दु के सम्बन्ध में परिवादी व अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा प्रश्नगत चैक अभियुक्त के खाते का होने, चैक पर अभियुक्त के हस्ताक्षर होने, परिवादी द्वारा चैक को विहित अवधि के दौरान समाशोधन हेतु पेश करने, उक्त चैक "**Account Blocked situation Covered in 21-45**" के रिमार्क के कारण अनादरित हो जाने तथा परिवादी द्वारा विधि द्वारा विहित समयावधि में नोटिस प्रेषित किये जाने के संबंध में कोई विवाद नहीं किये गये। इस कारण उक्त तथ्यों के संबंध में प्रकरण में विवेचन करना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है।

13. विचारणीय बिन्दु के संबंध में न्यायालय द्वारा सर्वप्रथम निम्न बिन्दुओं का अवधारण किया जाना हैः–

(i) क्या प्रकरण में प्रश्नगत चैक विधिक दायित्व अदायगी बाबत अभियुक्त द्वारा परिवादी के पक्ष में जारी किया गया था तथा परिवादी के हक में उपधारणा अन्तर्गत धारा 139 एन.आई. एक्ट जागृत हुई?

14. न्यायालय के समक्ष विचारणीय उक्त बिन्दु को साबित करने का भार परिवादी पर था जिस संबंध में परिवादी ने अपने परिवाद व साक्ष्य के शपथपत्र में कथन किये हैं कि अभियुक्त ने परिवादी से मांगते पेटे 1,00,000/– रुपये अक्षरे एक लाख रुपये नकद उधार लिये, जिसकी एवज में अभियुक्त ने एक चैक संख्या 765043, राशि 1,00,000/– अक्षरे एक लाख रुपये, दिनांक 21.09.2020, बैंक भारतीय स्टेट बैंक, शाखा नाथद्वारा का खाता संख्या 34686218845 का दिया था। परिवादी ने अभियुक्त द्वारा दिये गये चैक को अपनी बैंक एक्सीस बैंक, शाखा नाथद्वारा के खाता संख्या 916020041633368 में पेश किया, वहां से उक्त चैक को ''Account Blocked situation covered in 21-25'' के नोट के साथ बिना भुगतान के साथ दिनांक 05.10.2020 को वापस लौटा दिया गया। इस प्रकार अभियुक्त द्वारा परिवादी को दिया गया चैक अनादरित हो गया। अभियुक्त द्वारा दिये गये चैक के डिस्ऑनर होने पर चैक की राशि के भुगतान की मांग बाबत परिवादी की ओर से उसके अधिवक्ता द्वारा एक लीगल नोटिस दिनांक 23.10.2025 को अभियुक्त के पते पर जरिये रजिस्टर्ड पोस्ट भिजवाया, जो अभियुक्त को दिनांक 28.10.2020 को प्राप्त हो गया।

अभियुक्त ने नोटिस की समयावधि में तथा तत्पश्चात आज तक भी उक्त चैक की राशि की अदायगी परिवादी को नहीं की। इस संबंध में परिवादी द्वारा निम्न सारणी अनुसार मौखिक व दस्तावेज साक्ष्य पेश किए हैंः–

क्रम संख्या	नाम	व्याख्या
1.	लक्ष्मीनारायण	पी.ड.1

क्रम संख्या	प्रदर्श की व्याख्या	प्रदर्श	किस साक्ष्य द्वारा प्रमाणित
1.	असल चैक	प्रदर्श पी 1	पी.ड.1
2.	रिटर्न मेमो	प्रदर्श पी 2	पी.ड.1
3.	पंजीकृत सूचना पत्र की प्रति	प्रदर्श पी 3	पी.ड.1
4.	पोस्टल रसीद	प्रदर्श पी 4	पी.ड.1
5.	प्राप्ति स्वीकृति रसीद	प्रदर्श पी 5	पी.ड.1

15. सर्वप्रथम न्यायालय द्वारा स्वीकृत तथ्य का उल्लेख किया जाना महत्वपूर्ण है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गयी परिवादी से जिरह के अवलोकन से निम्न तथ्यों पर अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा विवाद उत्पन्न नहीं किया जाना दृष्टिगत हैः–

1. **चैक प्रदर्श पी 1 पर अभियुक्त के हस्ताक्षर होना।**
2. **चैक अभियुक्त द्वारा परिवादी को दिया जाना।**
3. **चैक परिवादी द्वारा बैंक में प्रस्तुत करने पर अनादरित हो जाना।**
4. **तदोपरांत अभियुक्त को परिवादी द्वारा चैक में वर्णित राशि मांगने हेतु नोटिस प्रेषित किया जाना।**

16. चूंकि प्रकरण में अभियुक्त द्वारा परिवादी को चैक दिया जाना दृष्टिगत है, जिससे परिवादी के पक्ष में धारा 118(ए) व 139 एन.आई. एक्ट में वर्णित उपधारणा का सृजन होता है, जिसके अनुसारः–

> **Section 118-** Presumptions as to negotiable instruments.- Until the contrary is proved, the following presumtions shall be made: (a) of consideration- that every negotiable intrument was made or drown for considerration, and that every such instrument, when it has been accepted, indoresd, negotiated or transferred, was accepted, indorsed, negotiated or transferred for

consideration;

Section 139- Presumption in favour of holder.- It shall be presumed, unless the contrary is proved, that the holder of a cheque received the cheque of the nature referred to in section 138 for the discharge, in whole or in part, of any debt or other liability.

17. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा धारा 118(ए) एवं 139 एन. आई. एक्ट में वर्णित उपधारणाओं के संबंध में अपने न्यायिक दृष्टान्त "Basalingappa Vs. Mudibasappa (2019) 5 SCC 418" में वृहद् विवेचन करते हुए निम्न सिद्धान्त पारित किया है :–

"25. We having noticed the ratio laid down by this court in the above cases on sections 118(a) and 139, We now summarise the principles enumerated by this court in following manner : 25.1 Once the execution of cheque is admitted section 139 of the Act mandates a presumption that the cheque was for the discharge of any debt of other liability.

25.2 The presumption under section 139 is a rebuttable presumption and the onus is on the accused to raise the probable defence. The standard of proof or rebutting the presumption is that of preponderance of probabilities.

25.3 To rebut the presumption, it is open for the accused to rely on evidence led by him or accused can also rely on the materials submitted by the complainant in order to raise a probable defence. Inference of preponderance of probabilities can be drawn not only from the materials brought on record by the parties but also by reference to the circumstances upon which they rely.

25.4 That it is not necessary for the accused to come in the witness box in support of his defence, Section 139 imposed an evidentiary burden and not a persuasive burden.

18. उक्त न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार उक्त उपधारणाओं का खण्डन करने का भार अभियुक्त पर होता है। उक्त उपधारणाओं का खण्डन संभावनाओं की प्रतिपादना पर किया जाता है एवं अभियुक्त परिवादी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य मय संदेहास्पद परिस्थितियां उत्पन्न कर न्यायालय के समक्ष उक्त उपधारणाओं के संबंध में संदेह उत्पन्न कर सकता है। यदि अभियुक्त द्वारा ऐसा संदेह उत्पन्न कर दिया जाता है तो उक्त उपधारणाओं को पुनः संदेह से परे प्रमाणित करने का भार परिवादी पर रहता है।

19. हस्तगत प्रकरण में यह विवाद रहित है कि अभियुक्त द्वारा परिवादी को चैक दिया गया या चैक बैंक में प्रस्तुत करने पर अनादरित हुआ, ऐसे में अब अभियुक्त को परिवादी के हक में जागृत उपधारणा का खण्डन करना है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रश्नगत चैक अभियुक्त द्वारा परिवादी को विधिक दायित्व की अदायगी पेटे जारी किया जाना उपधारणा के प्रकाश में प्रकट होता है।

(ii) क्या अभियुक्त उपधारणा का खण्डन करने में सफल रहा?

20. इस बिन्दु के संबंध में जैसा कि निर्णय के खंड संख्या 12 व 13 के (i) में विवेचन किया गया है, परिवादी के पक्ष में उक्त उपधारणा का सृजन हुआ है। अब यह भार अभियुक्त पर है कि वह संदेह उत्पन्न कर उपधारणा का खंडन करें।

21. जहां तक अभियुक्त अधिवक्ता की प्रतिरक्षा का प्रश्न है तो मूल रूप से अभियुक्त अधिवक्ता की यह प्रतिरक्षा है कि इस प्रकरण में परिवादी द्वारा जिरह में जो कथन किए हैं, वह अभियुक्त तथा परिवादी के मध्य चल रहे अन्य दो प्रकरण में हुई परिवादी की जिरह से भिन्न है। परिवादी स्वयं राशि देते वक्त कौन मौजूद था, राशि कहां दी तथा चैक किसने भरा, इस संबंध में विरोधाभाषी कथन तीनों प्रकरण में करता है।

इस संबंध में न्यायालय का यह मत है कि परिवादी को गवाह के पूर्व कथन के खंडन हेतु धारा 145 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की पालना की जानी आवश्यक है। इस संबंध में धारा 145 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का अवलोकन किया जाए तोः–

"किसी साक्षी की उन पूर्वतन कथनों के बारे में, जो उसने लिखित रूप

में किए हैं या जो लेखबद्ध किए गए हैं और जो प्रश्नगत बातों से सुसंगत है, ऐसा लेख उसे दिखाए बिना, या ऐसे लेख साबित हुए बिना, प्रतिपरीक्षा की जा सकेगी, किंतु यदि उस लेख द्वारा उसका खंडन करने का आशय है तो उस लेख को साबित किए जा सकने के पूर्व उसका ध्यान उस लेख के उन भागों की ओर आकर्षित करना होगा, जिनका उपयोग उसका खंडन करने के प्रयोजन से किया जाना है।''

उपरोक्त विधि के प्रकाश में यदि परिवादी को उसके पूर्व लेखबद्ध हुए बयानों से खंडन करवाना था तो उसे परिवादी का ध्यान परिवादी के पूर्व बयानों के उन भागों की ओर से आकर्षित करवाना आवश्यक था, जिनका उपयोग उसके बयानों के खंडन के लिए अभियुक्त कराना चाहता है, परंतु हस्तगत प्रकरण में परिवादी व अभियुक्त के मध्य चले रहे अन्य प्रकरण में लेखबद्ध बयान न तो पेश किया गया है, न ही परिवादी को उन बयानों के संबंध में जिरह के दौरान खंडन करने हेतु ध्यान आकर्षित कराया गया है। ऐसे में अभियुक्त की यह प्रतिरक्षा कि इस प्रकरण में परिवादी ने जिरह के दौरान दूसरे प्रकरण से भिन्न कथन किए हैं, मानने योग्य नहीं है, क्योंकि इस प्रकरण में परिवादी व अभियुक्त के मध्य चले रहे अन्य प्रकरण के बयान पत्रावली पर मौजूद नहीं है।

22. जहां तक अभियुक्त द्वारा परिवादी के अधीन नौकरी कर प्रश्नगत चैक अभियुक्त द्वारा परिवादी को सिक्योरिटी पेटे देने का प्रश्न है तो इस संबंध में अभियुक्त ने साक्ष्य सफाई में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है ऐसे में इस प्रतिरक्षा के संबंध में अभियुक्त का संपूर्ण आधार अब परिवादी की जिरह पर रह जाता है। परिवादी ने जिरह के दौरान अभियुक्त से इस प्रतिरक्षा के संबंध में संदेह उत्पन्न कर सकता था। यदि इस प्रतिरक्षा के संबंध में परिवादी की जिरह का अवलोकन किया जाए तो जिरह के दौरान परिवादी ने इस तथ्य से स्पष्ट इनकार किया है कि अभियुक्त परिवादी के यहां नौकरी करता हो। इसके अतिरिक्त अभियुक्त द्वारा परिवादी के यहां नौकरी की गई हो तो इस संबंध में अभियुक्त ने कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए हैं, न ही ऐसा कोई गवाह पेश किया है, जिससे यह प्रकट हो कि परिवादी ने अभियुक्त को सैलेरी के रूप में कोई राशि दी हो। ऐसे में अभियुक्त परिवादी की जिरह से यह संदेह उत्पन्न करने में असफल रहा है कि अभियुक्त परिवादी के यहां नौकरी करता हो तथा उस नौकरी के दरम्यान ही प्रश्नगत चैक किसी भविष्य में दी जाने वाली राशि के सिक्योरिटी पेटे दिए गए। फलस्वरूप अभियुक्त उक्त प्रतिरक्षा सम्यक् रूप से स्थापित करने में असफल रहा है ऐसे में उक्त प्रतिरक्षा अभियुक्त का कोई

समर्थन नहीं करती है।

23. जहां तक चैक सिक्योरिटी पेटे देने का प्रश्न है तो इस संबंध में संबंधित विधि का अवलोकन किया जाए तो **SUPREME COURT OF INDIA (FROM JHARKHAND) (D.B.) SRIPATI SINGH V/S STATE OF JHARKHAND & ANR 2021 LawSuit(SC) 677** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह मत प्रतिपादित किया गया है कि:–

> "A cheque issued as security pursuant to a financial transaction cannot be considered as a worthless piece of paper under every circumstance. 'Security' in its true sense is the state of being safe and the security given for a loan is something given as a pledge of payment. It is given, deposited or pledged to make certain the fulfilment of an obligation to which the parties to the transaction are bound. If in a transaction, a loan is advanced and the borrower agrees to repay the amount in a specified timeframe and issues a cheque as security to secure such repayment; if the loan amount is not repaid in any other form before the due date or if there is no other understanding or agreement between the parties to defer the payment of amount, the cheque which is issued as security would mature for presentation and the drawee of the cheque would be entitled to present the same. Onsuch presentation, if the same is dishonoured, the consequences contemplated under Section 138 and the other provisions of N.I. Act would flow."

उपरोक्त नजीर के प्रकाश में न्यायालय के मत में चैक सिक्योरिटी पेटे लेना मान भी लिया जाए तो ऐसा दिया गया चैक केवल व्यर्थ कागज का टुकड़ा नहीं रह जाएगा। हस्तगत प्रकरण में परिवादी जिरह के दौरान यह स्पष्ट कथन किया है कि:–

> ''जिस दिन अभियुक्त ने चैक बैंक में डालने को कहा, उसी दिन परिवादी ने चैक बैंक में डाला था तथा यह कहना सही है कि चैक पर हस्ताक्षर, तारीख और अमाउंट भरा हुआ था''

ऐसे में यह मान भी लिया जाए कि चैक उधार राशि के सिक्योरिटी पेटे दिया गया हो तो इससे अभियुक्त को कोई सहायता प्रदान नहीं होगी, क्योंकि परिवादी ने यह स्पष्ट कथन किया है कि जिस दिनांक का चैक था, उस दिनांक को परिवादी ने बैंक में डाला। यहां यह उल्लेखनीय है कि अभियुक्त की यह प्रतिरक्षा नहीं रही है कि प्रश्नगत चैक ऋण परिपक्व होने से पहले ही परिवादी ने बैंक में डाल दिया हो ऐसे में केवल मात्र चैक परिवादी द्वारा सिक्योरिटी पेटे लिया गया, पर्याप्त प्रतिरक्षा नहीं है। अभियुक्त को यह भी संदेह उत्पन्न करना आवश्यक था कि ऋण परिपक्व होने से पहले ही चैक को बैंक में डाल दिया हो, जो अभियुक्त स्थापित करने में असफल रहा है। ऐसे में उक्त प्रतिरक्षा अभियुक्त का समर्थन नहीं करती है।

24. जहां तक प्रश्नगत चैक की राशि अभियुक्त को न देकर अभियुक्त के पिता जी को दिए जाने का प्रश्न है तो इस संबंध में परिवादी जिरह का अवलोकन किया जाए तो परिवादी जिरह में यह कथन करता है कि:–

> ''एक लाख रुपये शंभुलाल को दिए और दो लाख रुपये शंभुलाल के पिता को दिए अजखुद कहा कि दोनों साथ में थे। अजखुद कहा कि एक लाख रुपये दिए, जब मदन जी आए थे। मैंने तीन लाख रुपये शंभुलाल को दिए।''

उपरोक्त कथन से स्पष्ट है कि परिवादी तीन लाख रुपये अभियुक्त को ही देना बताता है। यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत चैक की राशि अभियुक्त को न देकर अभियुक्त के पिता को दी हो तो इस संबंध में अभियुक्त ने कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किए हैं, न ही मौखिक साक्ष्य पेश किए हैं तथा न ही परिवादी की जिरह से यह संदेह उत्पन्न होता है कि प्रश्नगत चैक की राशि अभियुक्त को न दी जाकर अभियुक्त के पिता जी को दी हो। ऐसे में उक्त प्रतिरक्षा साक्ष्य के अभाव में अभियुक्त का समर्थन नहीं करती है। परिणामस्वरूप हस्तगत प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों एवं प्रकरण के

गुणावगुण पर विचार किये जाने के उपरांत अभियुक्त को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 138 एन.आई.एक्ट के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

–:: आदेश ::–

25. अतः अभियुक्त शंभुलाल पिता मदनलाल, निवासी मालियों के चौक के पास, फौज मौहल्ला, नाथद्वारा, जिला राजसमंद को अपराध अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अपराध के लिये दोषसिद्ध किया जाता है।

(पियूष कुमार मेड़तिया)

26. सजा के प्रश्न पर सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का यह कथन रहा है कि अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है। अभियुक्त एक गरीब व्यक्ति है। अतः अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ दिये जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता परिवादी ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुये अभियुक्त को विधि अनुसार दंड से दंडित किये जाने का निवेदन किया।

27. उभय पक्षों के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली व संबंधित विधि का दंड के प्रश्न पर पुनः ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

28. परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 में परक्राम्य लिखत अधिनियम 1988 के माध्यम से संशोधन किया जाकर चैक अनादरण के कृत्य को अपराध बनाया गया है तथा अधिनियम की धारा 138 से 142 के रूप में अध्याय 17 जोडा गया। संशोधन की प्रस्तावना में इसके उद्वेश्य व कारणों की व्याख्या करते हुये यह अंकित किया गया है कि चैक स्वीकार्यता व विश्वसनियता बढाने व चैक अनादरण के अपराध के लिये दंड के प्रावधान करने के प्रयोजन से उक्त उप बिन्दु विधि में जोडे गये हैं, इसके बाद पुनः परक्राम्य लिखत अधिनियम 2002 के माध्यम से चैक अनादरण के अपराध के लिये सजा को बढाकर एक वर्ष के स्थान पर 2 वर्ष के कारावास का प्रावधान किया गया है। इतना सब होते हुये भी देश में चैक अनादरण के प्रकरणों की संख्या बढती ही जा रही है। यहां तक कि सरकार को उक्त अपराधों के विचारण के लिये विशेष न्यायालयों की स्थापना करनी पडी है, फिर भी संशोधन का प्रयोजन पूरा नहीं हो पाया है। चैक अनादरण के अपराध ने समाज व देश की अर्थव्यवस्था को विपरित रूप से प्रभावित किया है। अतः उक्त समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के आरोप में उचित

दण्ड से दण्डित किया जाना न्याय संगत प्रतीत होता है।

–: <u>दण्डादेश</u> :–

29. अतः अभियुक्त शंभुलाल पिता मदनलाल, निवासी मालियों के चौक के पास, फौज मौहल्ला, नाथद्वारा, जिला राजसमंद को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध किया जाकर छह माह के साधारण कारावास की सजा से दंडित किया जाता है। अभियुक्त धारा 357 (1) (ख) दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार जुर्माना राशि 1,25,000/– (अक्षरे एक लाख पच्चीस हजार रूपये) बतौर प्रतिकर परिवादी को अदा करेगा। अदम अदायगी प्रतिकर अभियुक्त एक माह का साधारण कारावास अतिरिक्त रूप से भुगतेगा व प्रतिकर की उक्त राशि अभियुक्त से जुर्माने के रूप में वसूलनीय होगी।

30. अभियुक्त के उपस्थिति बाबत पूर्व में निष्पादित जमानत मुचलके उन्मोचित किये जाते हैं। अभियुक्त का सजा वारंट बनाया जावे। अभियुक्त द्वारा इस प्रकरण में बितायी गयी पुलिस अभिरक्षा एवं न्यायिक अभिरक्षा की अवधि को धारा 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत मूल सजा में से मुजरा किया जावे।

31. इस निर्णय के विरूद्ध होने वाली अपील में उपस्थित होने के लिये धारा 437–क दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत प्रस्तुत जमानतनामा व बंध पत्र निर्णय की दिनांक से 6 माह के लिये प्रवर्तन में रहेंगे।

32. निर्णय की एक प्रति अभियुक्त को निःशुल्क उपलब्ध करायी जावे।

(पियूष कुमार मेड़तिया)

33. निर्णय आज दिनांक 27.03.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(पियूष कुमार मेड़तिया)